न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश राजस्व मण्डल, भोपाल

केम्प - भोपाल

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा/2018/1763

अभिलाषसिंह चंदेल आ॰ राजेन्द्रसिंह चंदेल
निवासी - मातापुरा वार्ड, सोहागपुर तह॰ सोहागपुर
जिला होशंगाबाद म॰प्र॰ - - - - - - - - - - पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1॰ कन्हैयालाल आत्मज बारेलाल जाति कतिया उम्र 60 वर्ष
निवासी ग्राम भजियाढाना, तह॰ सोहागपुर जिला होशंगाबाद

2॰ प्रेमबाई जोजे कन्हैयालाल कतिया उम्र 55 वर्ष
निवासी ग्राम भजियाढाना तह॰ सोहागपुर जिला होशंगाबाद
- - - उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म॰प्र॰भू॰राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता माननीय अधीनस्थ न्यायालय के रा॰प्र॰क्रं॰ 26 ए/ 12 वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28·5·2017 के पक्षकार कन्हैयालाल बगैरह विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन से व्यथित एवं दुखित होकर निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते है ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/2018/1763

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
// -4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री अशीष गुप्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दि. 28-5-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध लगभग 8 माह के विलम्ब से यह अवधि बाह्य निगरानी प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन व तर्क में प्रत्येक दिवस के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाते हुये उनके द्वारा अभिभाषक द्वारा आदेश की जानकारी विलम्ब से मिलने का कारण दर्शाया है जो समाधानकारक मान्य नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में 1992 आरएन 289 लंगरी(श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा - 5 - व्याप्ति - अधिकारिता की प्रकृति - वैवेकिक है - पक्षकार विलम्ब माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदारनहीं है - पर्याप्त कारण का सबूत - अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है -न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढा सकता ।" अत: उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में यह निगरानी समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	